I/128975/2023

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
देहरादून : दिनांक 12 जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप

विषयः विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु 'स्थल चयन समिति' का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

सामान्यतया विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य स्थल हेतु केवल भूमि और वह भी निःशुल्क भूमि की उपलब्धता को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा भूमि उपलब्ध हो जाने पर समग्र दृष्टि से भूमि/स्थल की उपयोगिता के सम्बन्ध में सम्यक विचार किए बिना अग्रेत्तर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है। भविष्य में कई प्रकरणों में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत संज्ञान में आता है कि निर्माण स्थल जन सुविधा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है तथा स्थल पर भूस्खलन, सुगम मार्ग की अनुपलब्धता, विद्युत/पानी आदि विषयक समस्याएं भी विद्यमान होने के कारण सम्बन्धित योजना का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता और कई प्रकरणों में उसकी उपादेयता भी नहीं रहती। फलतः ऐसे निर्माण कार्यों में पूंजीगत मद के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक आवर्ती व्यय करना पड़ता है। महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड एवं आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कई ऐसे उद्धरण रेखांकित किए गए हैं, जिनमें निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत उसकी उपादेयता कम/आंशिक ही पाई गई है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्त स्थल चयन के लिए निम्नानुसार **"स्थल चयन समिति (Site Selection Committee)"** का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) ऐसी परियोजनाएं, जिनकी निर्माण लागत ₹ 10.00 करोड़ तक है:–

1. जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी –अध्यक्ष
2. जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियंत्रण विभाग का तकनीकी अधिकारी, जो अधिशासी अभियंता से अन्यून हों – सदस्य
3. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिसके क्षेत्रान्तर्गत परियोजना प्रस्तावित है – सदस्य
4. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक वन संरक्षक (ACF) (मात्र वन भूमि निहित होने की दशा में) – सदस्य
5. सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य सचिव
6. विषय विशेषज्ञ, यदि आवश्यक हो, को सम्बन्धित जिलाधिकारी/प्रशासकीय विभाग के सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकेगा – सदस्य

(ख) ऐसी परियोजनाएं, जिनकी निर्माण लागत ₹ 10.00 करोड़ से अधिक है:–

1. जिलाधिकारी – अध्यक्ष
2. प्रभागीय वनाधिकारी (मात्र वन भूमि निहित होने की दशा में) – सदस्य
3. जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियंत्रण विभाग का तकनीकी अधिकारी, जो अधिशासी अभियंता से अन्यून हों – सदस्य
4. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिसके क्षेत्रान्तर्गत परियोजना प्रस्तावित है – सदस्य
5. सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य सचिव
6. विषय विशेषज्ञ, यदि आवश्यक हो, को सम्बन्धित जिलाधिकारी/प्रशासकीय विभाग के सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकेगा – सदस्य

3. उपरोक्तानुसार गठित समितियों हेतु स्थल चयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे:–

(1) "स्थल चयन समिति" सम्बन्धित प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में स्थल की उपादेयता से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं/कारकों यथा, प्रस्तावित स्थल की भौगोलिक स्थिति, आबादी क्षेत्र से दूरी, सड़क मार्ग की चौड़ाई, कनेक्टिविटी, पार्किंग, यातायात मूल्यांकन/यातायात जमाव **(traffic assessment/congestion)**, बिजली, पानी की उपलब्धता, सम्बन्धित लाभार्थियों की पहुंच/सुविधा, स्थल के स्थायित्व एवं भविष्य की आवश्यकता इत्यादि का ध्यान रखेगी।

Generated from eOffice by GOVIND SINGH, RO-FINANCE-GS, RO-FINANCE, Finance Department on 12/06/2023 03:42 PM

Scanned with OKEN Scanner

I/128975/2023

(2) "स्थल चयन समिति" द्वारा प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होने एवं अतिक्रमण से मुक्त होने आदि का संज्ञान लेने के साथ–साथ सिविल/वन भूमि हस्तान्तरण अथवा निजी भूमि अर्जन, यथालागू, सम्बन्धी प्रक्रिया योजना का कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व सम्पन्न कर लिए जाने की स्थिति/संभावना का भी आंकलन किया जायेगा।

(3) किसी विभाग का प्रस्ताव प्राप्त होने पर "स्थल चयन समिति" एक सप्ताह के भीतर स्थल चयन के सम्बन्ध में निर्णय लेकर अपनी आख्या सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करेगी।

(4) परियोजना की प्रकृति के अनुसार भूमि/स्थान की उपयुक्तता के आधार पर समिति उक्त बिन्दु 3(1) एवं 3(2) के आलोक में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सिविल भूमि को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी, किन्तु सिविल भूमि उपलब्ध न होने अथवा उक्त मानकों की दृष्टि में उपयुक्त न पाये जाने की दशा में उक्त मानकों की दृष्टि में सर्वाधिक उपयुक्त वन भूमि के हस्तान्तरण अथवा निजी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में भी स्थल चयन कर अपनी संस्तुति देगी।

(5) प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के साथ स्थल चयन समिति की आख्या संलग्न की जानी आवश्यक होगी जिसमें उपयुक्तता के कारणों का भी उल्लेख किया जायेगा।

(6) प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में स्थल चयन समिति वरीयता के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता के स्थलों का चयन कर उसके कारणों सहित अपना मंतव्य देगी।

(7) परियोजना की डी.पी.आर. का टी.ए.सी. द्वारा परीक्षण तभी किया जायेगा जबकि उसमें स्थल चयन समिति की रिपोर्ट संलग्न हो। साथ ही, परियोजना की स्वीकृति के स्तर पर सक्षम प्राधिकारी/वित्त विभाग द्वारा यह भी देखा जायेगा कि परियोजना के सन्दर्भ में स्थल चयन की कार्यवाही शासनादेश के अनुसारकी गयी है।

4. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। ऐतद्विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 90214/2023 दिनांक 18 जनवरी, 2023 तथा शासकीय परियोजनाओं के निमित्त निःशुल्क भूमि की अनिवार्यता विषयक राजकीय विभागों द्वारा पूर्व में निर्गत अन्य शासनादेश, यदि कोई हों, अवक्रमित समझे जायेंगे।

5. कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 09-06-2023 15:01:39

(डॉ. सुखबीर सिंह सन्धु)
मुख्य सचिव

<u>**संख्या : 128975 /XXVII(1)/2022 एवं तददिनांकित**</u>। 12/06/2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
7. महानिबंधक, मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
सचिव

Generated from eOffice by GOVIND SINGH, RO-FINANCE-GS, RO-FINANCE, Finance Department on 12/06/2023 03:42 PM

Scanned with OKEN Scanner